Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 01..- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 223/2024

श्रीमती नेहा गोयल
निवासी– डी 502 ज्वैल रेजिडेन्सी
आई.टी.बी.पी. रोड़ नियर चैतन्य हॉस्पिटल, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांकः 02.06.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके बिना किसी सूचना के विद्युत संयोजन विच्छेदित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरी कोठाल गेट पर स्थित दुकान है, जिसमें मैने 02 कि0वा0 का संयोजन लगाया था, जिसका बिल का भुगतान मैने जुलाई 2024 में किया था उसके पश्चात् बिजली विभाग द्वारा मेरा मीटर उतार दिया गया, इस बात की मुझे कोई जानकारी नही दी गई। बार–बार कार्यालय के चक्कर लगाने पर भी मुझे कोई समाधान

. Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

नही मिला है। इस कारणवश मेरे कार्य में भी रूकावट आ रही है। मैने दुकान खरीदते समय पिछले बकाया का भुगतान कर दिय था। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी समस्या में जल्दी ही कार्यवाही की जाए।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 162, दिनांकित 19/04/2025 से मंच को अवगत कराया है कि श्रीमती नेहा गोयल द्वारा अघरेलू संयोजन (706–1116–371259) लिया गया था किन्तु विभाग द्वारा उनके नये संयोजन के मापक को उतार दिया गया है। श्रीनती नेहा गोयल द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु प्रस्तुत प्रपत्रों के अनुसार खसरा सं0ख 105 खा और 213, कुठाल गॉव, मसूरी रोड़ की भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 07.05.2022 को हुई थी। उक्त परिसर पर विद्युत संयोजन श्री पकज कालरा के नाम पर था (संयोजन संख्या 701–1111–090613 जिसका उपयोग एवं उपभोग श्रीमती नेहा गोयल द्वारा किया जा रहा था। दिनांक 09.10.2023 को संयोजन संख्या 701–1111–090613 की चैंकिग रिर्पोट संख्या 523/02 Misuse of tariff के आधार भरी गयी थी। दिनांक 16.0 2024 को संयोजन संख्या 701–1111–090613 को बकाया धनराशि (73,802 + 19,058.00 = 92860.00) के आधार पर विच्छेदित कर दिया गया था। उपभोक्ता द्वारा उक्त संयोजन पर लम्बित बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। तदोपरान्त श्रीमती नेहा गोयल द्वारा भूमि की रजिस्ट्री के आधार पर 25 मई 2024 में नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया था , जिस में उनके द्वारा तथ्यों को छुपाकर नया विद्युत संयोजन प्राप्त कर लिया गया। आवेद

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

पत्र के कम संख्या 05 में अंकित तथ्य ''क्या कोई विद्युत संयोजन परिसर में मौजूद है हॉ/नहीं'' को “नहीं” दर्शाया गया, जबकि उनके परिसर खसरा संख्या 105 ख पर विद्युत संयोजन संख्या 701–1111–090613 विद्यमान था। अवर अभियन्ता 33/11 के0वी0 उपसंस्थान, ढाकपट्टी द्वारा प्रकरण की सही जानकारी ज्ञात होने पर उनके द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग विनियम 2020 अनुलग्नक– II (संदर्भ विनियम 3.3) नये एल0टी0 संयोजन हेतु आवेदन पत्र के A सामान्य विवरण के बिन्दु संख्या 05 पर असत्य तथ्य दर्शाने एवं परिशिष्ट घोषणा/वचनबंध में अंकित घोषणा “कि घोषणा को प्रस्तुत करते समय आवेदक ने भली भांति समझ लिया है कि यदि भविष्य में उपरोक्त कथन किसी भी स्तर पर असत्य या गलत साबित होते है, तो यूपीसीएल को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना किसी भी सूचना के आवेदक की आपूर्ति को विच्छेदित कर दे तथा उपभोक्ता प्रतिभूति जमा के सापेक्ष देयों का समायोजन करें '' के आधार पर श्रीमती नेहा गोयल को जारी किये गये नये विद्युत संयोजन को अस्थायी तौर पर विच्छेदित कर दिया गया। श्रीमती नेहा गोयल द्वारा खसरा संख्या 105 ख पर पूर्व में स्थापित विद्युत संयोजन का उपभोग एवं उपयोग किया जा रहा था। चैकिंग रिर्पोट भरे जाने के उपरान्त उक्त संयोजन पर बकाया धनराशि का भुगतान उनके द्वारा नहीं किया गया, जिस कारण बकाया धनराशि के आधार पर पूर्व में स्थापित संयोजन को विच्छेदित कर दिया गया। उक्त प्रकरण की जानकारी श्रीमती नेहा गोयल को थी। श्रीमती नेहा गोयल द्वारा उक्त परिसर पर पूर्व में स्थापित

संयोजन की जानकारी एवं बकाया धनराशि को छिपातें हुए नया विद्युत संयोजन लिया गया। उपभोक्ता द्वारा संयोजन संख्या 701–1111–090613 पर लम्बित धनराशि का भुगतान करने के उपरान्त उनको निर्गत नये विद्युत संयोजन को पुनः स्थापित कर दिया जायेगा।

उक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 191, दिनांकित 14/05/2025 से मंच को अवगत कराया है कि पत्रांक संख्या 189/EDSD(A)/DDN दिनांक 13.05.2025 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सूचना प्रौघोगिकी (आई0टी0), से संयोजन संख्या 701–1111–090613 पर दिनांक 29.09.2022 से 28.05.2023 के मध्य Net Banking/EBPP के माध्यम से की गयी भुगतान का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0), वि0का0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन के पत्रांक संख्या 210/उपाकालि/आई0टी0 ऑनलाईन भुगतान दिनांक 14.05.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि कमांक संख्या 01 एवं 02 का भुगतान उपभोक्ता द्वारा UPI के माध्यम से एवं कमांक सं0 03 का भुगतान आई.सी.आई.सी.आई के Net Banking के माध्यम से किया गया था एवं भारतीय रिर्जेव बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार Consumer Data Protection हेतु Payment Gateway Service Provider द्वारा रिर्पोटस में उपभोक्ता के बैंक अथवा कार्ड सम्बन्धी अधिक जानकारी साझा नहीं की जाती है। चैकिंग रिर्पोट संख्या 523/02 के संबंध में आपको अवगत कराना

है कि चैकिंग रिर्पोट भरते समय Online Portal पर संयोजन जिस उपभोक्ता के नाम पर दर्ज होता है उसी के नाम पर चैकिंग रिपोर्ट भरी जाती है। चूँकि सम्पत्ति क्रय–विक्रय सम्बन्धी जानकारी क्रेता द्वारा ही विद्युत विभाग के साथ साझा की जाती है, तदोपरान्त संयोजन में उपभोक्ता नाम परिवर्तित करने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जाती है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया कि श्रीमती नेहा गोयल द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु प्रस्तुत प्रपत्रों के अनुसार खसरा सं0ख 105 खा और 213, कुठाल गॉव, मसूरी रोड़ की भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 07.05.2022 को हुई थी। उक्त परिसर पर एक घरेलू विद्युत संयोजन (संयोजन संख्या 701–1111–090613) श्री पंकज कालरा के नाम पर था, जिसका उपयोग एवं उपभोग श्रीमती नेहा गोयल द्वारा किया जा रहा था। दिनांक 09.10.2023 को संयोजन संख्या 701–1111–090613 की चैंकिग रिर्पोट संख्या 523/02 Misuse of tariff के आधार भरी गयी थी। दिनांक 16.03.2024 को संयोजन संख्या 701–1111–090613 को बकाया धनराशि (73,802 + 19,058.00 = 92860.00) के आधार पर विच्छेदित कर दिया गया था। उपभोक्ता द्वारा उक्त संयोजन पर लम्बित बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। तदोपरान्त श्रीमती नेहा गोयल द्वारा भूमि की रजिस्ट्री के आधार पर 25 मई 2024 में नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया , जिस में उनके द्वारा तथ्यों

को छुपाकर नया विद्युत संयोजन प्राप्त कर लिया गया। आवेदन पत्र के कम संख्या 05 में अंकित तथ्य "क्या कोइ विद्युत संयोजन परिसर में मौजूद है हॉ/नहीं" को "नहीं" दर्शाया गया, जबकि उनके परिसर खसरा संख्या 105 ख पर विद्युत संयोजन संख्या 701–1111–090613 विद्यमान था। अवर अभियन्ता 33/11 के0वी0 उपसंस्थान, ढाकपट्टी द्वारा प्रकरण की सही जानकारी ज्ञात होने पर उनके द्वारा **UERC (The Electricity Supply Code Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के अनुलग्नक– I (संदर्भ विनियम 3.3) नये एल0टी0 संयोजन हेतु आवेदन पत्र के A सामान्य विवरण के बिन्दु संख्या 05 पर असत तथ्य दर्शाने घोषणा/वचनबंध में अंकित घोषणा " कि घोषणा को प्रस्तुत करते समय आवेदक ने भली भांति सम: लिया है कि यदि भविष्य में उपरोक्त कथन किसी भी स्तर पर असत्य या गलत साबित होते है, तो यूपीसीएल को पू अधिकार होगा कि वह बिना किसी भी सूचना के आवेदक की आपूर्ति को विच्छेदित कर दे तथा उपभोक्ता प्रतिभू जमा के सापेक्ष देयों का समायोजन करें " के आधार पर श्रीमती नेहा गोयल को जारी किये गये नये विद्युत संयोज को अस्थायी तौर पर विच्छेदित कर दिया गया। श्रीमती नेहा गोयल द्वारा खसरा संख्या 105 ख पर पूर्व में स्थापि विद्युत संयोजन का उपभोग एवं उपयोग किया जा रहा था। चैकिंग रिर्पोट भरे जाने के उपरान्त उक्त संयोजन बकाया धनराशि का भुगतान उनके द्वारा नहीं किया गया, जिस कारण बकाया धनराशि के आधार पर पूर्व में स्थापि

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

संयोजन को विच्छेदित कर दिया गया। उक्त प्रकरण की जानकारी श्रीमती नेहा गोयल को थी। श्रीमती नेहा गोयल द्वारा उक्त परिसर पर पूर्व में स्थापित संयेाजन की जानकारी एवं बकाया धनराशि को छिपातें हुए नया विद्युत संयोजन लिया गया। उपभोक्ता द्वारा संयोजन संख्या 701–1111–090613 पर लम्बित धनराशि का भुगतान करने के उपरान्त उनको निर्गत नये विद्युत संयोजन को पुनः स्थापित कर दिया गया जायेगा।

मंच द्वारा वाद के संबंध में वास्तविक स्थिति जानने हेतु दिनांक 06.05.2025 को परिवादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें मंच के संज्ञान में आया कि परिवादी की विवादित दुकानों के प्रथम तल पर स्थापित घरेलू संयोजन संख्या 701 1111 090613 के द्वारा ही परिवादी की भूतल पर स्थापित दुकानों पर विद्युत आपूर्ति की जा रही थी जिस कराण विपक्षी द्वारा उनकी दुकानों हेतु निर्गत नयें विद्युत संयोजन को बिना सूचना के विच्छेदित कर दिया गया है जिस कारण परिवादी द्वारा वाद योजित किया गया है मंच द्वारा जब प्रथम तल पर स्थापित संयोजन संख्या 701 1111 090613 के संबंध में जानकारी प्राप्त की तो उक्त विद्युत संयोजन श्री पंकज कालरा के नाम से अवमुक्त पाया गया, जब मंच द्वारा श्री पंकज कालरा के संबंध में जानकारी चाही तो विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि श्री पंकज कालरा द्वारा अपनी उक्त सम्पत्ति धूम बाईक को बेची गयी, जिसके उपरान्त दिनांक 07.05.2022 को धूम बाइक द्वारा उक्त सम्पत्ति दो भागों में श्रीमती नेहा गोयल एवं एक अन्य को बेच दी गयी है, परन्तु न तो धूम बाईक द्वारा उक्त घरेलू संयोजन संख्या 701–1111–090613 को अपने नाम में परिवर्तित कराया गया न ही उक्त संपत्ति को

बेचने के बाद क्रेता द्वारा संयोजन का नाम परिवर्तित कराया गया है, जिस कारण अनाधिकृत उपयोग के विषय में जो निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है वह श्री पंकज कालरा के नाम से तैयार की गई है, जबकि उक्त घरेलू कनेक्शन का उपभोग परिवादी की सम्पत्ति में संचालित दुकानों में अघरेलू विधा में किया जा रहा था।

परिवादी द्वारा सुनवाई के दौरान मंच के सम्मुख स्वीकार किया कि उनके द्वारा उक्त दुकाने बिना विद्युत संयोजन के किराये पर दी गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त दुकानों में विद्युत आपूर्ति प्रथम तल पर स्थापित घरेलू विद्युत में जारी विद्युत संयोजन द्वारा की जा रही थी जिसकी जानकारी परिवादी को भू:स्वामी होने के नाते थी।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट है कि संयोजन संख्या 701 111 090613 जो की श्री पंकज कालरा के नाम से घरेलू विधा में अवमुक्त किया गया था उस विद्युत संयोजन से परिवादी की दुकानों में विद्युत आपूर्ति की जा रही थी जिस कारण विपक्षी द्वारा परिवादी पर अनाधिकृत उपयोग हेतु निर्धारण किया गया है एवं परिवादी के नाम से जारी नया विद्युत संयोजन संख्या 7061116371259 को विच्छेदित कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण विद्युत के अनाधिकृत प्रयोग से संबंधित है, जिसके उपरान्त मंच मत का है कि UERC (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be Followed by the

Forum For Redressal Of Grievances of the Consumers) Regulations, 2019 के विनियम 3.1 (4) के अनुसार मंच को उक्त प्रकरण सुन्ने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत शिकायत विद्युत के अनाधिकृत प्रयोग से संबंधित होने के कारण UERC (Guidelines for Appointment of Members and Procedure to be Followed by the Forum For Redressal Of Grievances of the Consumers) Regulations, 2019 के विनियम 3.1 (4) के अनुसार मंच को उक्त प्रकरण सुन्ने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

02/06/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

02/06/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

02-06-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

प्रकीर्ण परिवाद सं0 02/2025

श्री मुन्ना लाल शर्मा, पुत्र स्व प्यारे लाल शर्मा, परिवादी
निवासी–वार्ड नं0 3, गुरूद्वारा गली(पहाडी गली)
तहसील– विकासनगर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
विकासनगर।

कोरम दिनांक : 30.06.2025
श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत प्रकीण परिवाद परिवादी द्वारा अपने पूर्व में दायर परिवाद संख्या 224/2024 श्री मुन्ना लाला शर्मा, पुत्र स्व प्यारे लाल शर्मा, निवासी– वार्ड नं0 3, गुरूद्वारा गली (पहाडी गली) तहसील– विकासनगर, देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 विकासनगर के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 26.04.2025 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी के अनुसार मंच द्वारा वाद संख्या 224/2024 में पारित निम्न आदेश *"मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी से सिर्फ दो बिलो की राशि लिया जाना सुनिश्चित करें उक्त दो बिलों को भी पूर्व के तीन बिल चक्रों 02/2023, 12/2022 एवं 10/2022 की वास्तविक औसत खपत (शून्य यूनिट) के*

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135.2769745, 9[illegible]5,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

अनुसार संशोधित किया जाए तथा शेष सभी 10 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाए। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।" का विद्युत विभाग द्वारा शिकायत दर्ज कराने के तिथि दिनांक 31/05/2025 तक भी अनुपालन नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विपक्षी को आदेशित कर पूर्व पारित आदेश दिनांकित 26.04.2025 का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 3476 दिनांकित 23.06.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का बीजक रूपये 27305.00 से संशोधित कर रूपये 3058.00 मात्र का बना दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 26.04.2025 का पूर्ण अनुपालन कर दिया गया है, इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 26.04.2025 का पूर्ण अनुपालन कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/06/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/0
(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 01/2025

श्रीमती शम्मी खोसला — परिवादी
निवासी– कृष्णा वाटिका, तरला नागल,
पावर हाउस आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 11.06.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding excess billing being done by UPCL during las 04 billing cycles.

The Complainant Smt.Shammi Khosla submits and prays as under:-

I logged a complaint in month of November 2024 no 22011240250 stating that the point on mete where supply wire is attached is burnt, but the UPCL customer care representative wrote it as wire snapped no supply, and after that I stopped receiving sms of electricity bill. I called customer care to

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
गढ़वाल
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 24
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.cc

know the reason and they said that you are being charged minimum base of 150 units for past months. I have a very low usage for last few months, I request you to consider my situation and giv concession on last four bills also check my complaint recording where I clearly stated that mete point is burnt and not wire snapped.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 442, दिनांकित 16/04/2025 से मंच को नि तथ्यों से अवगत कराया गया हैः–

1. विद्युत संयोजन संख्या 9769999984116 विभागीय अभिलेखों में श्रीमती शम्मी खोसला पत्नी श्री दीपक खोसल कृष्णा वाटिका तरला नागल के नाम पर (अस्थाई संयोजन निर्माण कार्य हेतु) दिनांक 21.02.2024 को अवमुक्त कि गया है।
2. ऊर्जीकरण की दिनांक 21.02.2024 से माह 11/24 तक सम्बन्धित उपभोक्ता का मीटर यूनिट के आधार पर विद्यु बिल प्रेषित किये गये तथा माह 12/24 से माह 03/2025 तक आई0डी0एफ0 (मीटर खराब) के आधार पर विद्यु बिल प्रेषित किये गये।
3. सम्बन्धित उपभोक्ता द्वारा भी ऑनलाईन के माध्यम से दिनांक 02.04.2025 को खराब मीटर बदलने हेतु शिकाय दर्ज की गयी (शिकायत संख्या 20204252221)।
4. उक्त शिकायत के सापेक्ष सहायक अभियन्ता मीटर विद्युत परीक्षण शाला आराघर देहरादून कार्यालय द्वारा दिनां 11.04.2025 में खराब मीटर बदल दिया गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 656, दिनांकित 04/06/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या 9769999984116 का विद्युत बिल को संशोधित कर सम्बन्धित उपभोक्ता को प्रेषित कर दिया गया है जिससे उपभोक्ता संतुष्ट है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 656 दिनांकित 04.06.2025 के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि संबंधित उपभोक्ता के संयोजन संख्या 9769999984116 के विद्युत बिल को संशोधित कर संबंधित उपभोक्ता को प्रेषित कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ता संतुष्ट है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण विद्युत बिल संशोधित कर कर दिया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11/06/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

11/06/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

11-06-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

ectricity Consumer Grievance Redressal Forum
arhwal-Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun [illegible]48001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

परिवाद सं0 02/2025

श्रीमती चन्द्रकला बिष्ट C/o यू0एस0 बिष्ट — परिवादी
निवासी– लेन नं0–3, टर्नर रोड़, क्लेमेनटाउन,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 03.06.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint with regard to correction of incorrect electricity bills.

The Complainant submits and prays as under:-

I am writing to formally request the resolution of on going issue with my electricity bill for Account No. 41500668634, Connection No. SD25512164055. The bill for February 2025 was incorrect, and I raised a service request (No. 22302250157) on 23rd February 2025 to have the meter checked and the bill corrected. Despite multiple follw-ups with customer care , no one from UPCL visited to

inspect the meter. On 22nd March 2025, after receiving another incorrect bill for March 202: contacted customer care again. A new Service request (No. 2220325020) was created, and I \ informed that I needed to pay Rs. 100 for the check meter and bill correction. However, no act has been taken so far, and the issue remains unresolved. As the meter appears to be defective, bill should be generated on a pro-rata basis rather than on faulty readings. The meter reading Febuary and March remains unchanged, yet the bill reflects the same unit consumption, indicati an error in the billing process. I kindly request an immediate resolution of this issue by conductin; proper meter inspection and adjusting the bill accoridingly.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 29, दिनांकित 16/04/2025 से मंच को अव कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन सं0 SD25512164055, पर विद्युत परीक्षण खण्ड, नगरीय देहरादून द्व दिनांक 12.04.2025 को चैक मीटर स्थापित कर दिया गया है। अतः चैक मीटर की आख्या आने के उपरान्त वि बीजक नियमानुसार संशोधित कर आपको प्रेषित कर दिया जायेगा।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन संख्या SD25512164055 में दिनांक 12.04.2025 को उपभोक्ता का पुराना मीटर आर0डी0एफ0 होने के कारण उसके स्थान पर नया मीटर स्थापित कर दिया गया है एवं दिनांक 15.05.2025 को उपभोक्ता का बिल नये मीटर की रीडिंग के आधार पर संशोधित किया गया है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टी व्यक्त की गई है, जो पत्रावली में शामिल है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी का खराब विद्युत मापक बदलने संबंधी शिकायत का निवारण खराब विद्युत मापक बदलकर एवं बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टी वयक्त किये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड़समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

03/06/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

03/06/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

03-06-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

:lectricity Consumer Grievance Redressal Forum.
Garhwal Zone)
iabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
)ehradun 248001
'hone 0135-2769745,2769755,2761956
)ffice: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
:-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

प्रकीर्ण परिवाद सं0 03/2025

श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री जर्नादन प्रसाद, — परिवादी
निवासी–भगवान दाश चौक, बालावाला,
वार्ड नं0 99, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,(रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक : 30.06.2025
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत प्रर्कीण परिवाद परिवादी द्वारा अपने पूर्व में दायर परिवाद संख्या 04/2025 श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री जर्नादन प्रसाद निवासी– भगवान दाश चौक, बालावाला, वार्ड नं0 99, देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, (रायपुर) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 09.05.2025 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि मंच द्वारा पूर्व वाद संख्या 04/2025 में पारित आदेश का अनुपालन विपक्षी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के तिथि दिनांक 19/06/2025 तक भी नहीं किया गया है। अत:

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehrad[illegible] -248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच से निवेदन है कि विपक्षी को आदेशित कर पूर्व पारित आदेश दिनांकित 09.05.2025 का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 973 दिनांकित 30.06.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि संयोजन संख्या 9711212654752 का सी0सी0बी0आर0 कर बिल संशोधित कर दिया गया है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 09.05.2025 का पूर्ण अनुपालन कर दिया गया है, इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा मंच के पूर्व आदेश दिनांकित 09.05.2025 का पूर्ण अनुपालन कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। **उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे।**

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/06/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/06/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकि सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 05/2025

श्रीमती पार्वती थपलियाल
पत्नी श्री राम प्रसाद थपलियाल,
निवासी– 336, पार्वती निवास नं0 10,
आदर्शनगर वार्ड नं0 –07, जौलीग्राट,
तहसील–डोईवाला, देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (डोईवाला)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 18.06.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि 13 फरवरी 2025 को मीटर रीडर द्वारा पिछले 25 दिनों की बिजली खपत 267 यूनिट दर्शाई गई। इसके संबंध में उनके द्वारा दिनांक 14.02.2025 को एस डी ओ डोईवाला को शिकायत दर्ज कराई गई।

दिनांक 19.02.2025 को टेस्ट मीटर लगाया गया। दिनांक 13.02.25 से दिनांक 19.02.25 की सुबह 11:30 तक 6 युनिट खपत पाई गई। दिनांक 04.03.25 को टेस्ट मीटर की रीडिंग 11 यूनिट पाई गई जबकि पुराने मीटर की रीडिंग 12 यूनिट पाई गई। परिवादी की ओर से जनवरी के महीने में ली गई रीडिंग और दिनांक 13.02.25 से दिनांक 08.03.25 की रीडिंग के आधार पर फरवरी 25 का बिल संशोधित किये जाने का निवेदन किया गया।

एस डी ओ डोईवाला की ओर से रू0 2636 के बिल का संशोधन 1200 रूपये घटाकर 1436 रूपये बताया गया। जो उपरोक्त निवेदित–अनुपात के आधार पर 750 से 800 रूपये के बीच का बिल बनता है।

इसे अस्वीकार किया गया, फिर परिवादी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, लच्छीवाला को निवेदन प्रस्तुत किया दो तीन बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद मार्च अन्त तक की व्यस्तता के चलते मुलाकात नहीं हो पाई।

दिनांक 04.04.25 को लच्छीवाला कार्यालय अधीनस्थ अधिकारी को सारा वृतांत बताने के बाद परिवादी ने मात्र 800 रूपये जमा करने की इच्छा महोदय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने इच्छा जताई तो यह निर्देश दिया गया कि कम से कम अभी 836/– रूपये जमा कर दें और अपील के बाद जो निर्णय होगा उसका अनुपालन करना होगा या असतुंष्टि पर आप आगे अपील करेंगे, यह आपकी इच्छा पर होगा। परिवादी ने 836/– रूपये जमा भी कर दिये हैं। प्रश्नः विवादित रीडिंग के पहले मीटर सही था। 13.02.2025 के दिवस तक मीटर ने 25 दिन की खपत 267 यूनिट दिखाकर अचानक कैसे ठीक होकर पूर्ववत रीडिंग दिखाने लगा। परिवादी के अनुसार विवाद की स्थिति में उपाकालि का वर्तमान अनुपातिक गणन पैमाना तर्क संगत व सही नहीं है। स्पष्ट है कि साल के 12 महिनों में से 8 महिने गर्मियों के (मार्च 15 से नवम्बर 15 तक) और सर्दियों के 4 महिने (नवम्बर 16 से मार्च 15 तक) रहते हैं। जनहित में सेवाधिकार के अर्न्तगत वर्तमान अनुपातिक

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0[illegible]5- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

गणना पैमाने में यथोचित निम्नलिखित सुझाव पर विचार कर यह संशोधन अमल में लाया जाना न्यायोचित होगा। यदि इस प्रस्तुत सुझाव से भी बेहतर सुझाव अन्य कोई प्रस्तुत करता है तो उसका स्वागत होगा।

यदि मीटर की खराबी गर्मियों के किसी महीने में पाई जाती है तो गर्मियों के पिछले 4 महिनों का खपत अनुपात निकाले जाने की व्यवस्था तय की जाये, और ऐसे ही सर्दियों में पाई गई शिकायत के बारे में सर्दियों 4 महिनों के अनुपात की व्यवस्था अमल में लाई जायें।

उपरोक्त के संदर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1514 दिनांक 30.04.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या DW64105334883 का माह 02/2025 का विद्युत बिल 267 मीटरड यूनिट का निर्गत किया गया उपभोक्ता द्वारा आवेदन किये जाने के पश्चात् दिनांक 19.02.2025 को चैक मीटर स्थापित किया गया व दिनांक 04.03.2025 को चैक मीटर फाईनल किया गया, चैक मीटर की आख्या के अनुसार मीटर 09 प्रतिशत तेज पाया गया। उपखण्ड कार्यालय डोईवाला द्वारा चैक मीटर की रिर्पोट के अनुसार माह फरवरी 2025 का बिल पुराने विद्युत मीटर को आई0डी0एफ0 मानकर पूर्व के 03 बिलिंग चक्र के औसत के आधार पर संशोधित किया गया। उपभोक्ता के आवेदन के पश्चात् 836.00 रू0 का पार्ट पेमेंट जमा कराया गया।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार परिवादी का विद्युत मापक दिनांक 19.01.2025 तक सही कार्य कर रहा था।(जिसकी पुष्टी परिवादी द्वारा भी सुनवाई के दौरान भी की गई है) परन्तु एकाएक दिनांक 20.01.2025 से 13.02.2025 तक विपक्षी द्वारा परिवादी को 267 यूनिट का विद्युत बिल प्रेषित किया गया जिससे परिवादी को आपत्ति है। विपक्षी द्वारा परिवादी के उक्त विद्युत बिल को

आई0डी0एफ0 मानते हुए पूर्व के 03 बिलिंग चक्र के औसत पर संशोधित किया गया क्योंकि जब परिवादी के विद्युत मापक के सापेक्ष चैक मीटर स्थापित किया गया तो परिवादी का पुराना मीटर 9 प्रतिशत तेज चलता पाया गया , जबकि परिवादी द्वारा स्वयः सुनवाई के दौरान यह स्वीकार किया गया कि 19.01.2025 से पूर्व उन्हें वास्तविक खपत के विद्युत बिल जारी किये जा रहे थे, जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी के विद्युत मापक में दिनांक 20.01.2025 से 13.02.2025 तक किसी प्रकार की तकनीकि खराबी आई है जिस कारण परिवादी के विद्युत मापक की रीडिंग जम्प हुई है जिस कारण विपक्षी द्वारा परिवादी को उक्त माह का बिल पूर्व खपत से अधिक प्रेषित किया गया है। मंच द्वारा परिवादी के परिसर पर स्थापित नये विद्युत मापक की विद्युत खपत का अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि नये विद्युत मापक की विद्युत खपत पूर्व विद्युत खपत के लगभग समान है जो कि विपक्षी के विद्युत मापक आई0डी0एफ0 घोषित किये जाने के निर्णय को बल प्रदान करता है।

विपक्षी द्वारा भी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ही परिवादी के विद्युत मापक को आई0डी0एफ0 मानते हुई परिवादी का विद्युत बिल पूर्व के 03 बिलिंग चक्र के औसत के आधार पर संशोधित किया गया है। जहॉ तक परिवादी का यह कथन कि गर्मियों /सर्दियो के पिछले 4 महिनों की खपत अनुपात निकाले जाने की व्यवस्था तय की जाये के संदर्भ में मंच द्वारा परिवादी को अवगत कराया जाता है कि वर्तमान में माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिल संशोधन के संबंध में इस प्रकार का कोई विनियम नही है। इससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को नियामानुसार संशोधित बिल जारी किया गया है, जो नियामानुसार सही है, तथा इमसे किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun - 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों उपरानत उक्त वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/.वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

18/06/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

18/06/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 07 / 2025

श्रीमती आशा देवी,पत्नी अवतार सिंह — परिवादी
निवासी– एच–163, नेहरू कालोनी,
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.06.2025
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि मैं श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री अवतार सिंह, एच– 163, नेहरू कालोनी देहरादून की रहने वाली हूँ मेरे घर का विद्युत संयोजन संख्या CD1714806437 और अकांउट सं0 40104255932 है। मै आपको अवगत करान चाहती हूँ कि जुलाई 2023, अगस्त 2023, सितम्बर 2023 तीन महीने का बिजली का बिल 200 यूनिट से अधिक का आने लगा, तब मैने अक्टूबर 2023 में मीटर रीडर से अनुरोध किया कि मुझे मीटर में रीडिंग दिखा दीजिए क्योंकि मीटर में ढक्कन लगा हुआ था तथा पुराना हो गया जिस वजह से रीडिंग स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी, तब मीटर रीडर द्वारा ढक्कन हटाये जाने के बाद रीडिंग दिखाई दी वह बिल में दिखाये रीडिंग से काफी कम थी लगभग 200

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

यूनिट से अधिक का अन्तर था। मीटर रीडर द्वारा मुझे यह बताया गया कि आपका बिल तब तक कम देगें जब तक कि यह कवर नही हो जाता, मैने भी उसमें सहमति जताई। दिसम्बर 2024 में मीटर रीडर द्वारा बताया गया कि आपके मीटर का डिस्पले काम नहीं कर रहा है, रीडिंग देखने में मुश्किल हो रही है आप 1912 में शिकायत कर दीजिए। मैने उसी दिन 22 दिसम्बर 2024 को 1912 में शिकायत दर्ज करा दी, जिसकी शिकायत सं0 22112240614 थी और मुझे बताया गया कि 30 दिन के अन्दर आपका मीटर बदली हो जायेग। एक महीने से अधिक होने पर भी जब मीटर बदली नहीं हुआ तब मैनें दुबारा 1912 पर कॉल कर शिकायत की जानकारी ली, मुझे बताया गया कि आपकी शिकायत कैंसिल हो गयी, जब मैनें पूछा कि क्यों कैंसिल हुयी तो उसका कोई स्पष्ट जवाब नही मिला और कहा कि दुबा से आपकी शिकायत दर्ज कर देती हुँ, जिसकी शिकायत सं0 22901250366 थी। 05 मार्च 2025 को सुबह 10 बजे मीटर रीडर आफिस से बना बिल लेकर आया और मुझे दिया, मैने उस बिल को देखा वह बिल 14.10.2024 से 10.01.2025 कुल 119 दिन का 43474/– रूपये का था, जिसमें बिल देय तिथि 25.02.2025 और विच्छेदन तिथि 12.03.2025 थी और वर्तमान मीटर रीडिंग 19469 थी। जब मैने मीटर रीडर से पूछा यह रीडिंग कहां से ली गयी तब मीटर रीडर ने कहा यह आप ऑफिस से पता करो। उसी दिन 05.03.2025 को मैं आराघर विद्युत ऑफिस में गई बिलिंग क्लर्क से पूछा यह बिल में रीडिंग कहॉ से ली गयी तब क्लर्क ने कहा एस.डी.ओ साबह से पूछो, तब एस.डी.ओ साहब से पूछा साहब ने अपने मोबाईल में 19469 रीडिंग की फोटो दिखाई, मैने कहा यह तो KWH में नही है मैने अपन मोबाइल में KWH वाली रीडिंग की फोटो दिखाई तब एस.डी.ओ साहब ने बोला यह रीडिंग नही है। मीटर में इस तरह का रीडिंग आती है। मैने साहब से कहा यह तो बहुत अधिक बिल है इसे वहन करना कठिन है, एस.डी.ओ साहब ने कहा

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रं
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

यह तो मैने मेन ऑफिस ई0सी0 रोड़ भेज दिया है यदि आप वापस करा सकते है तो देखेगें। मै उसके बाद मेन ऑफिस गया जहॉ उनसे बिल वापस हेतु अनुरोध किया गया तथा एस.डी.ओ सर भी सहमत हो गये। दिनांक 11.03.2025 को मैं एस.डी.ओ. आफिस आराघर गया और बताया कि बिल वापस हो गया है, साहब ने दुबारा से बिल रिवाइज करके बनाया गया दिनांक 05.03.2024 से 10.02.2025 कुल 342 दिन का 40579/– रूपये बिल, संयोजन विच्छेदन तिथि थी दिनांक 12.03.2025 थी उसके पूर्व ही मैने दिनांक 11.03.2025 को चैक के द्वारा रू0 40579/– बिल जमा करा दिया गया था। दिनांक 11.03.2025 को बिजली का बिल जमा करने के बाद मैं फिर एस.डी.ओ सर से अनुरोध किया कि मीटर बदली करवा दीजिए परन्तु उनके द्वारा बताया गया कि आपका मीटर ठीक है, मैने बताया कि मीटर बिलिंक नही करता तथ डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। परन्तु उनके द्वारा कोई भी जवाब नही दिया गया, उसके बाद मैने ई0सी0 रोड़ कार्यालय में जाकर अवर अभियन्ता मीटर से मिली अवर अभियन्ता (मीटर) द्वारा बताया गया कि अभी तक हमारे पास मीटर उपलब्ध न होने के कारण मीटर बदली नही हो पाया, अब मीटर उपलब्ध है तो कल आपका मीटर लग जायेगा। दिनांक 12.03.2025 11 बजे के लगभग मीटर लगा दिया गया अर्थात् मीटर बदली हो गया। मीटर बदली करने वाले से जब मैने पूछा की इसकी रीडिंग कितनी है तब उसने बताया 10708 है यही रीडिंग होती है क्योंकि यह KWH में है, यही रीडिंग उसने मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र में भी अंकित की। मेरे घर में विद्युत उपकरण ए0सी0 को छोडकर सब है लेकिन इस्तेमाल बहुत कम होते है क्योंकि हम दो ही लोग घर पर रहते है। वर्तमान में दिनांक 12.03.2025 जब से मीटर लगा है और 21.04.2025 तक जो विद्युत खपत है वह 57 यूनिट है, जब मीटर लगा उस समय मीटर रीडिंग 1882 KWh थी, और दिनांक 21.04.2025 को 1939 KWh थी। यह खपत कम ज्यादा हो

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

सकती है, यह मैं स्वीकार करता हूँ लेकिन इतनी भी अधिक नहीं की वह पांच या छः गुना बढ जाये। अतः महोदय उक्त प्रकरण की गहनता से जांच कर मुझसे उचित शुल्क लिया जाये।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 3066, दिनांकित 07/05/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उक्त परिवादी श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री अवतार सिंह, एच–163, नेहरू कालोनी, देहरादून के संयोजन संख्या CD17148064370 के बिल टी0डी0एस0 मीटर रीडर द्वारा माह 12/2024 में आर0डी0एफ0 एंव 01/2025 में आई0डी0एफ0 में निर्गत किया गया है, उपभोक्ता के परिसर पर लगे विद्युत मीटर का अधोहस्ताक्षरी व अवर अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि उपभोक्ता के विद्युत मीटर र ा 945757 में रीडिंग 19469 पायी गयी है एवं उक्त उपभोक्ता का बिल मीटर रीडिंग के अनुसार संशोधन किया गया है। उक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 3149, दिनांकित 26/05/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि सहायक अभियन्ता परीक्षण खण्ड (के0) 18 ईवसी0 रोड देहरादून से वादी श्रीमती आशा देवी के संयोजन संख्या CD17148064370 से उतारे गये मीटर की एम0आर0आई0/टेस्ट बैंच रिर्पोट मांगी गई थी, जो वि आज दिनांक 26.05.2025 तक प्राप्त नही हुई है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री व अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को 05.11.2023 से पूर्व के विद्युत बिल चक्रों में विद्युत खपत लगभग समान थी परन्तु दिनांक 05.11.2023 से 14.10.2024 तक पूर्व खपत से काफी कम रीडिंग के बिल दिये गये इस अवधि में पॉ माह के बिल 0 (शून्य) यूनिट के भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात् 13.12.2024 से 10.02.2025 तक क्रमश

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

माह के बिल 0 (शून्य) यूनिट के भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात् 13.12.2024 से 10.02.2025 तक क्रमश: आर0डी0एफ0 एवं आई0डी0एफ0 के आधार पर प्रेषित किये गये। इतनी लंबी अवधी तक शून्य यूनिट की खपत संभवन नहीं है। उपरोक्त से प्रतीत होता है कि परिवादी के परिसर में स्थित मीटर त्रृटिपूर्ण है तथा परिवादी की वास्तविक खपत को नही दर्शा रहा है। इसके पश्चात् विद्युत विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत पर परिवादी का विद्युत मीटर दिनांक 12.03.2025 को सीलिंग प्रमाण पत्र बुक संख्या 87 प्रपत्र संख्या 4318 के माध्यम से बदला गया जिसमें विपक्षी द्वारा मीटर की अंतिम पठनांक 10708 अंकित किया गया है।

उक्त के क्रम में विपक्षी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 07.05.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया कि अधोहस्ताक्षरी व अवर अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपभोक्ता के विद्युत मीटर संख्या 945757 में रीडिंग 19469 पायी गयी है एवं उक्त उपभोक्ता का बिल मीटर रीडिंग के अनुसार संशोधन किया गया है।

विपक्षी के उक्त कथन कि विद्युत मापक की अंतिम रीडिंग उपरोक्त सीलिंग प्रमाण पत्र में अंकित अंमित रीडिंग 10708 से भिन्न 19469 है, पर परिवादी को आपत्ति है, क्योंकि उनकी इतनी अधिक खपत पूर्व में कभी नहीं है।

मंच द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 09.06.2025 को विपक्षी को निर्देर्शित किया गया था कि विवादित विद्युत मापक संख्या 945757 की एम0आर0आई0 / टेस्ट बैंच रिर्पोट मंच के सम्मुख प्रस्तुत करें, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 26.06.2025 को अपनी आख्या पत्रांक संख्या 3285 दिनांकित 26.06.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि साईटों पर वर्तमान में स्मार्ट मीटर स्थापित किये जा रहे है, एवं नॉन स्मार्ट मीटरों को लैब में रखा जा रहा है, लैब में प्र्याप्त स्थान न होने के कारण पुराने मीटरों को स्क्रैप विद्युत भण्डार खण्ड, आराघर भिजवा दिये गये है, जिसमें उक्त मीटर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवंली र
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

संख्या 945757 भी शामिल था, इसलिए उक्त मापक की एम0आर0आई0 की रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

मंच बिना किसी ठोस तकनीकि प्रमाण पत्र/साक्ष्य के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रीडिंग 19469 को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि सीलिंग प्रमाण पत्र भी विपक्षी द्वारा ही जारी किया गया है, जिसमें अंतिम रीडिंग 10708 अंकित की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मंच का मत है कि वह परिवादी को दिनांक 05.11.2023 से विद्युत मीटर बदले जाने की तिथि दिनांक 12/03/2025 तक प्रेषित समस्त विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बि चक्रों (10/2023, 09/202 एवं 08/2023) की औसत खपत क्रमशः (216+204+201/3) 207 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 05/11/2023 से विद्युत मीटर बदले जाने की तिथि दिनांक 12/03/2025 तक प्रेषित समस्त विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों (10/2023, 09/202 एवं 08/2023) की औसत खपत (216+204+201/3) 207 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधितकरें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर

करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/06/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

30/06/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V.Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 08/2025

श्री प्रीतपाल सिंह — परिवादी
निवासी– 71, गुरू रोड
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 28.06.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि विद्युत बिल मेरी माताजी स्व0 करतार कौर, निवासी– 71, गुरू रोड, देहरादून के नाम से है। तीन महीने पहले ही विद्युत मीटर लगवाया था परन्तु मीटर तेजी से चल रहा है, विद्युत मीटर में लाल रंग की लाईट भी ब्लिंक कर रही थी। इसकी शिकायत मैने माह फरवरी में की थी उसके बाद चैक मीटर भी लगवाया, जिसके बाद अपने आप ही मीटर ठीक हो गया उसके बाद 10 दिनों में यूनिट 91 ही विद्युत खपत हुई है। महोदय इससे पूर्व कभी भी इतनी विद्युत खपत नही हुई है। इससे पहले का विद्युत बिल जो कि बढकर आया था उसका भुगतान भी करवा दिया

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देह[illegible] – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

गया था लेकिन उसके बाद भी विद्युत बिल बढ कर ही आ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे बिल की राशि को एडजस्ट करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 95, दिनांकित 06/05/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि :–

1. उक्त संयोजन संख्या SD75211130149 श्रीमती करतार कौर के नाम पर है व जिसका भार 05 कि०वा० है।
2. उक्त संयोजन का विद्युत मीटर दिनांक 30.09.2024 को बदला गया।
3. मीटर बदलने के उपरान्त उपभोक्ता के विद्युत बिल निम्नवत् निर्गत हुये हैं।

माह	खपत
12/2024	4716 यूनिट
01/2025	3122 यूनिट
02/2025	2325 यूनिट
03/2025	494 यूनिट

4. उपभोक्ता के यहॉ दिनांक 08.03.2025 को चैक मीटर लगाया गया व दिनांक 17.03.2025 को उतारा गया, जिसमे मुख्य मीटर व चैक मीटर में कोई अन्तर नही पाया गया।
5. उपभोक्ता के मीटर की एम.आर.आई. की गई,जिसकी प्रति संलग्न है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 35- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767:
ई–मेल cgrfgz@gmail.cor

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी की 11.12.2024 से पूर्व के विद्युत बिल चक्र में विद्युत खपत लगभग समान थी, परन्तु दिनांक 11/12/2024 से 28/02/2025 तक तीन बिल चक्रो में कुल (2325+3122+4716) 10163 यूनिट के बिल प्रेषित किये गये जिसपर परिवादी को आपत्ति है।

मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा 154 दिनों में (28.09.2024 से 28.02.2025) दर्शायी गयी 10163 यूनिट की विद्युत खपत परिवादी के स्वीकृत विद्युत भार एवं पूर्व की खपत के दृष्टिगत व्यवहारिक प्रतीत नहीं होती है। विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 11.12.2024 से 28.02.2025 तक तीन बिल चक्रों में औसतन 66 यूनिट (10163/54) प्रतिदिन के आधार पर निर्गत किये गये विद्युत बिल मंच तकनीकि आधार पर स्वीकार नहीं कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि नया स्थापित मीटर (संख्या G7904013) भी तकनीकि रूप से वास्तविक विद्युत खपत का आंकलन नहीं कर रहा है, अतः परिवादी को दिनांक 11.12.2024 से वर्तमान तक निर्गत सभी विद्युत बिल परिवादी की वास्तविक खपत के आधार पर निर्गत नहीं किये गये है, ऐसी दशा में परिवादी को प्रेषित सभी विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजको को पूर्व के तीन बिल चक्रों (07/2024, 05/2024 एवं 04/2024) की औसत खपत 1218 यूनिट (1502+1482+670/3) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना एवं परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित किया जाना तर्कसंगत न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली
देहरा – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 11.12.2024 से वर्तमान तक निर्गत सभी विद्युत बिल परिवादी की वास्तविक खपत के आधार पर निर्गत नहीं किये गये है, ऐसी दशा में परिवादी को प्रेषित सभी विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजको को पूर्व के तीन बिल चक्रों (07/2024, 05/2024 एवं 04/2024) की औसत खपत 1218 यूनिट (1502+1482+670/3) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंभ परिवर्तित करना सुनश्चित करे ताकि भविष्य में पुनः विद्युत मापक की तकनीकि खराबी के कारण इस प्रकार की शिकायत उत्पन न हो। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/06/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/06

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 09/2025

श्रीमती अरूणिमा गौड़ — परिवादी
निवासी– पूजावाला बद्रीपुर
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 30.06.2025
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक विद्युत बिल आने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरा आवास पूजावाला, बद्रीपुर में है जिसका विद्युत बिल गत 03 माह से लगातार अत्याधिक बढकर आ रहा है। मैं इतना अधिक बिल का भुगतान करने में असक्षम हूँ। अतः कृपया मेरी समस्या का हल करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 296, दिनांकित 09/05/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के आवेदन पर दिनांक 18.03.2025 को चैक मीटर स्थापित किया एवं दिनांक 24.04.2025

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरा – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

को फाईनल किया गया। चैक मीटर के दौरान 38 दिन की कुल खपत चैक एवं मेन मीटर में क्रमशः 2090 एवं 2092 प्रदर्शित हुई जो कि प्रत्येक दिन 55 यूनिट बनती है, साथ ही उपभोक्ता के मीटर एवं चैक मीटर की एम0आर0आई0 करायी गयी, दोनों मीटरों की एम0आर0आई0 के अध्यन से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता का वास्तविक उपभोग अधिक रहा, अथवा उपभोक्ता के विद्युत इंस्टालेशन में कमी के कारण उक्त विद्युत खपत अधिक हुई है, उपभोक्ता को निर्गत बिल वास्तविक खपत के आधार पर हैं, जो कि सही है। चूंकि एम0आर0आई0 एवं चैक मीटर की रिर्पोट में विद्युत खपत का मिलान लगभग सही है, अतः उपभोक्ता के बिल में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नही है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी की 10.02.2025 से पूर्व के विद्युत बिल चक्र में विद्युत खपत लगभग समान थी, परन्तु दिनांक 10/02/2025 से 10/06/2025 तक पॉच बिल चक्रो में कुल (598+1253+1559+1302+1727) 6439 यूनिट के बिल प्रेषित किये गये जिसपर परिवादी को आपत्ति है।

मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा 152 दिनों में (10.01.2025 से 10.06.2025) दर्शायी गयी 6439 यूनिट की विद्युत खपत परिवादी के स्वीकृत विद्युत भार एवं पूर्व की खपत के दृष्टिगत व्यवहारिक प्रतीत नहीं होती है। विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 10.01.2025 से 10.06.2025 तक पॉच बिल चक्रों में औसतन 42 यूनिट (6439/152) प्रतिदिन के आधार पर निर्गत किये गये विद्युत बिल मंच तकनीकि आधार पर स्वीकार नहीं कर सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि चैक मीटर के फाईनल करने की तिथि के बाद खपत एकाएक 18–74 यूनिट प्रतिदिन से कम होकर 7–18 यूनिट प्रतिदिन हो गई, जिससे यह स्पष्ट है स्थापित

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun 48001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मीटर (संख्या 8793872) तकनीकि रूप से वास्तविक विद्युत खपत का आंकलन नहीं कर रहा है, अतः परिवादी को दिनांक 10.01.2025 से वर्तमान तक निर्गत सभी विद्युत बिल परिवादी की वास्तविक खपत के आधार पर निर्गत नहीं किये गये है, ऐसी दशा में परिवादी को प्रेषित सभी विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजको को पूर्व के तीन बिल चक्रों (01/2025, 12/2024 एवं 11/2024) की औसत खपत 304 यूनिट (357+194+360/3) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना एवं परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित किया जाना तर्कसंगत न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 10.01.2025 से वर्तमान तक निर्गत सभी विद्युत बिल परिवादी की वास्तविक खपत के आधार पर निर्गत नहीं किये गये है, ऐसी दशा में परिवादी को प्रेषित सभी विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजको को पूर्व के तीन बिल चक्रों (01/2025, 12/2024 एवं 11/2024) की औसत खपत 304 यूनिट (357+194+360/3) प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना एवं परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब परिवर्ति करे, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंभ परिवर्तित करना सुनश्चित करे ताकि भविष्य में पुनः विद्युत मापक की तकनीकि खराबी के कारण इस प्रकार की शिकायत उत्पन न हो। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरा – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

30/06/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

परिवाद सं0 10/2025

श्रीमती नीतू नेगी — परिवादी
निवासी– मालसी सीनोला
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (उत्तर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 11.06.2025
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक राशि के त्रृटिपूर्ण विद्युत बिल के संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि हाल ही में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा मेरे ऊपर रू0 1,20,000 का बिजली बिल थोप दिया गया है। इससे कुछ ही दिन पहले तक मेरे पोर्टल पर केवल रू0 34,000 का बकाया दिख रहा था, जिसे देखकर मैंने भुगतान की योजना बनाई थी लेकिन अब अचानक यह राशि रू0 1,20,000 कद दी गई है। जब मैंने निकटतम बिजलीघर (बिजली कार्यालय) से संपर्क किया, तो वहॉ के अधिकारी ने कहा कि आपने एक बार भी बिल जमा नहीं किया है, जबकि यह पूरी तरह असत्य है। मैने 2024 तक के सभी बिल एक साथ ऑनलाइन जमा किए है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवल
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail.c

इन सभी भुगतानों की रसीदें मेरे पास सुरक्षित हैं और यू.पी.सी.एल. पोर्टल पर भी वे प्रदर्शित हो रही हैं, इसके बावजू मुझे यह कहा गया है कि 7 दिन के भीतर रू0 1,20,000 जमा करें अन्यथा बिजली कनेक्शन काट दिया जायेगा। य एक निम्न आय वर्ग के ईमानदार उपभोक्ता के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार है। अतः मेरा निवेदन है कि उपभोक्ता फो यू.पी.सी.एल को इस मामले की निष्पक्ष और शीध्र जांच करने के निर्देश दे। मेरे पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान रिकॉर्ड व पुष्टि की जाये तथा बिल की धनराशि को संशोधित कर केवल वास्तविक बकाया (यदि कोई हो) बताया जाए। कि भी प्रकार की बिजली कटौती की कार्यवाही पर तत्काल से रोक लगाई जाये।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 198, दिनांकित 16/05/2025 से मंच को अ कराया गया है कि संयोजन संख्या 7021122560866 दिनांक 19.08.2021 को जारी किया गया था। उपभोक्ता को प्र विद्युत बीजक (बिल नं0 M27015374) दिनांक 17.12.2021 को एम0यू0 के आधार पर 794 यूनिट का जारी किया ग था, किन्तु उसके पश्चात् TDS Management Consultant (P) Ltd. द्वारा उपभोक्ता को NA/NR के आधार पर बि निर्गत किये। अधोहस्ताक्षरी को उक्त संयोजन की मापक की रीडिंग ज्ञात होने पर माह मार्च 2025 में विद्युत बीज बनाने के लिए संयोजन का ग्रुप परिवर्तित (702 के स्थान पर 701) कर बिल बनाया गया, चूँकि उपभोक्ता के माप पर अत्याधिक रीडिंग होने के कारण मापक की रीडिंग हटने (No Display) अथवा मापक के जलने की सम्भावना ब हुई थी। महोदय को उक्त विषयक आपको यह भी अवगत कराना है कि उपभोक्ता को विद्युत संयोजन निर्गत करने तिथि से 19.08.2021 से 18.03.2025 तक उपभोक्ता के मापक पर पाठ्यांक 23516 KWH पाया गया, इस आधार उपभोक्ता का प्रति माह की खपत 546 यूनिट प्रति माह (23516/43) जो कि सही है। उपभोक्ता के मापक को च करने के लिए चेक मीटर लगाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है, जिसकी जॉच रिर्पोट 10 से 15 दिनों के भी विद्युत परीक्षणशाला (उत्तर) से प्राप्त होने के उपरान्त मान्नीय निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 227 दिनांकित 03/06/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि संयोजन सं0 702–112–560866 पर दिनांक 21.05.2025 को चैक मापक स्थापित किया गया, जिसे दिनांक 31.05.2025 को फाइनल किया गया, जिसमें चैक मापक (GU521201) एवं मुख्य मापक (15724126) की कुल खपत लगभग समान पायी गयी। अतः चैक मापक की रिर्पोट के अनुसार उपभोक्ता का मापक सही कार्य कर रहा है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 18.12.2021 से 25.02.2025 अर्थात् 12 बिल चक्रों में NR/NA के आधार पर विद्युत बिल जारी किये गये। इस प्रकार विपक्षी द्वारा परिवादी को कुल 12 बिल चक्रो में औसत (एन0आर0/एन0ए0) के आधार पर एवं दिनांक 18.03.2025 को एकाएक 22722 यूनिट का एकमुस्त बिल जारी किया गया है, जिस पर परिवादी को आपत्ति है।

यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के विनियम **5.1.3** के विनियम 5.1.7(1) में त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रूके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुय मीटरो की बिलिंग में स्पष्ट उल्लेख किया गया है जो कि निम्वत् है–

5.1.7(1) "The Consumer shall be billed on the basic of the average consumption of the past three billing/cycles immediately preceding the date of the meter being

found or being reported defective/stuck/stopped/burnt/stolen. These charges shall be leviable for a maximum period of 2 billing cycle during which time the Licensee is expected to have replaced the defective meter. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा मान्नीय UERC के उपरोक्त विनियमों का उलघन किया गया है, जिसे मंच स्वीकार नही कर सकता है। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को प्रेषित बिल दिनांकित 18.12.2021 से दिनांक 25.02.2025 अर्थात् 12 विद्युत बिल चकों में प्रेषित एन0आर0 / एन0ए0 के बिलों में से UERC के उपरोक्त वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 10 विद्युत बिलों को निरस्त क. उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना एवं दिनांक 18.03.2025 को निर्गत 22722 यूनिट के बिल को निरस्त कर उक्त विद्युत बिल को माननीय् UERC द्वारा जारी TARIFF ORDER April 11,2025 के टैरिफ आदेश के अध्याय –09, के क्लाज 6 के अन्तर्गत जहॉ पिछली रीडिंग उपलब्ध नहीं है, घरेलू –(शहरी) उपभोक्ता के मानकीय उपभोग – 100 kwh/kw/ माह के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि उनके द्वारा परिवादी को प्रेषित बिल दिनांकित 18.12.2021 से दिनांक 25.02.2025 अर्थात् 12 विद्युत बिल चकों में प्रेषित एन0आर0 / एन0ए0 के बिलों में से UERC के उपरो वर्णित विनियम के अनुसार शुरूआत के सिर्फ दो बिलों की राशि ही परिवादी से लिया जाना सुनिश्चित करें तथा शेष सभी 10 विद्युत बिलों को निरस्त कर उक्त विद्युत बिलों में केवल फिक्स चार्ज लिया जाना एवं दिनांक 18.03.2025 को निर्गत 22722 यूनिट के बिल को निरस्त कर उक्त विद्युत बिल को माननीय् UERC .द्वारा जारी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 2480C

Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

TARIFF ORDER April 11,2025 के टैरिफ आदेश के अध्याय –09, के क्लाज 6 के अन्तर्गत जहॉ पिछली रीडिंग उपलब्ध नहीं है, घरेलू –(शहरी) उपभोक्ता के मानकीय उपभोग – 100kwh/kw/ माह के आधार पर संशोधित करें। विपक्षी आदेश के अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

11-06-2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

11/06/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

11-06-2025
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 11/2025

श्रीमती सारिका ठाकुर निवासी– 517, सहस्त्रधारा हाईट्स, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।	परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर) उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून।	विपक्षी

कोरम	दिनांक: 28.06.2025
श्री रजनीश माथुर	तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding amending the huge amount of electricity bill.

The Complainant submits and prays as under:-

Iam writing to formally lodge a complaint regarding an unusually high electricity bill that I received for the billing period of January to May 2025, bearing bill number 29810250408000018 and pertaining to my service connection with connection no. 9721323901012. Despite lodging two complaints in the first week of March to request a bill review & meter check, and subsequently

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रे
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

sending a reminder, no action has been taken, and no representative has visited my premises (complaint number 21103250126). The bill amount of Rs. 4100 in Jan & Rs. 5622 in Feb 2025 is significantly higher than my average monthly consumption, which typically ranges between Rs. 800-Rs 1200. I have carefully reviewed my electricity usage during the aforementioned period and have not identified any significant changes in my consumption patterns that would justify such a substantial increase. Infact I was outstation for 15 days in the month of February. I request you to investigate this matter thoroughly and take necessary corrective action. I would appreciate it if you could review my billing history and provide a revised bill that accurately reflects my electricity consumption.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 589, दिनांकित 19/05/2025 से मंच को निम्न बिन्दुवार तथ्यों से अवगत कराया गया है:–

1. विद्युत संयोजन संख्या 9721323901012 श्रीमती सारिका ठाकुर पत्नी श्री संदीप ठाकुर, 517 सहस्त्रधारा हाईट्स सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून विद्युत भार 02 किलोवाट घरेलू विद्या में स्वीकृत है। उक्त विद्युत संयोजन दिनांक 19.07 2023 को अवमुक्त किया गया है।
2. अवमुक्त की दिनांक से वर्तमान तक उपभोक्ता को समस्त बिल मीटर रीडिंग के आधार पर प्रेषित किये गये ह (बिलिंग हिस्ट्री संलग्न)।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. उपभोक्ता द्वारा अपने विद्युत संयोजन के मीटर पर चैक मीटर लगाने हेतु आवेदन किया गया था। शिकायत संख्या 21103250126 जिसके सापेक्ष सहायक अभियन्ता (मीटर), विद्युत परीक्षण शाला, आराघर, देहरादून द्वारा दिनांक 18.05.2025 को चैक मीटर स्थापित कर दिया गया है।

4. बिल संशोधित के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि चैक मीटर फाईनल होने के उपरांत उपभोक्ता का विद्युत बिल आवश्यकतानुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

उक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 660, दिनांकित 04/06/2025 से मंच को निम्नवत् अवगत कराया गया है:–

1. उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 18.05.2025 को चैक मीटर स्थापित किया गया था।
2. उपभोक्ता के परिसर से उक्त चैक मीटर दिनांक 02.06.2025 को हटा दिया गया था।

सहायक अभियन्ता(मीटर) के कार्यालय से निर्गत सीलिंग के आधार पर उपभोक्ता के चैक मीटर एवं मेन मीटर की खपत में कोई अन्तर नहीं पाया गया है एवं मेन मीटर सही से कार्य कर रहा है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा पत्रावली पर उलब्ध चैक मीटर फाईनल सीलिंग प्रमाण संख्या 49/404 दिनांकित 02.06.2025 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि परिवादी का विद्युत मापक वास्तविक विद्युत खपत का आंकलन सही प्रकार से कर रहा है। पत्रावली में उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट का भी मंच द्वारा अवलोकन किया गया जिससे मंच के संज्ञान में आया कि दिनांक 01.01.2025 को रीडिंग 1404.305 Kwh, दिनांक 01.02.2025 को रीडिंग 2051.766 Kwh, एवं दिनांक 01.03.2025 को एम0आर0आई0 रिपोर्ट में वर्तमान रीडिंग 2599.661 Kwh है तथा कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री में क्रमशः दिनांक 10.01.2025 को रीडिंग 1593 Kwh,

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

दिनांक 15.02.2025 को रीडिंग 2408 Kwh, एवं दिनांक 06.03.2025 को रीडिंग 3764 Kwh अंकित की गई है, कज्यूमर हिस्ट्री पर उपलब्ध Bill Revision Details से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 15.02.2025 से दिनांक 08. 04.2025 तक के विद्युत बिलों को संशोधित कर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को विवादित बिल चक्रों में उनकी वास्तविक खपत के ही आधार पर ही विद्युत बिल जारी कर दिये गये है, जो नियामानुसार सही है, तथा इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/06/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/06
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 2
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmai

परिवाद सं0 12 / 2025

श्रीमती शिप्रा
निवासी– डी 108 जे.वी.टी, झाझरा
नियर विज्ञान धाम,देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक: 03.06.2025

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

The complainant registered the complaint regarding delay in release of new electricity connection against registration no 53123022501I.

The Complainant submits and prays as under:-

1. That the factual matrix leading to filing the present grievance petition are detailed herein below:-

a) That the complainant herein has got constructed her resident unit at khasra no. 148, Bidholi Tehsil Vikasnagar, Dehradun, Uttarakhand.

b) That the complainant applied for a new electricity connection of 10 kw which was subsequently registered with registration no 531230225011 on 23.02.2025. In regard to this message had also been received.

c) That when the connection was not issued, the complainant visited the office of the respondent for granting new connection. However, instead of issuing the connection the officers are directing the complainant to visit one office of the respondent or the other.

d) That now the officers of the respondent are forcing the complainant to get the transformer installed for issuing electricity connection and asking huge amount against the same which is unjust and uncalled for against UERC Supply Code,2020 Regulations.

e) That the entire matter was brought to the knowledge of Executive Engineer, respondent herein,through letter dated 21.04.2025, However, no action was taken. Thereafter reminder was again submitted through email but the grievance has not been redressed till now.

2. That under the above circumstances, complainant is left with no alternative but to approach this Ld. Forum by way of present grievance petition for necessary relief and redressal. It is humble

and respectful submission of the petitioner/complainant that the electricity connection may be provided at the premises of the complainant.

3. That the act of the respondent is illegal as the Hon'ble Supreme Court has held that the right to electricity is a legal right and as also provided in Section 43 (Duty to supply on request) of Electricity Act, 2003 " licensee, shall, on an application by the owner or occupier of any premises, give supply of electricity to such premises, within one month after receipt of the application requiring such supply ":
4. That there is no efficacious alternative remedy available to the petitioner/complainant for the relief prayed for in this petition/complaint.
5. That the instant dispute comes under the jurisdiction of the Ld. Forum as per clause 1.2 (1) (c) (ii) of CGRF Regulation 2019 of Hon'ble UERC.

Prayer-

In the Premises aforesaid,it is most humbly and respectfully prayed that this Ld. Forum may graciously be pleased to:-

a) Direct the respondent to issue a 10 KW connection in the name of complainant for use at the premises.

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवर्ल
देहरादून – 2
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmai

b) Pass any other order or direction, which this Ld. Forum may deem fit and proper, on the fact and circumstances and in the interest of justice.

c) Provide compensation for delay in releasing the electricity connection.

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 232, दिनांकित 22/05/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्रीमती शिप्रा निवासी– निकट UPES कॉलेज बिधौली, देहरादून द्वारा नये विद्युत संयोजन का विद्युत भार 10 कि०वा० हेतु आवेदन किया गया जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 531230225011 दिनांक 23.0? ?025 है। एम.डी.डी.ए. से स्वीकृत मैप का निरीक्षण करने में पाया गया कि विद्युत भार 28 कि०वा० का है जो कि विद्युत वितरण खण्ड मोहनुपर कार्यालय से विद्युत संयोजन किया जाना है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध परिवादी की शिकायती पत्र के क्रम में मंच द्वारा विपक्षी को नोटिस प्रेषित कर आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 22.05.2025 को अपनी आख्या के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी द्वारा पंजीकरण संख्या 531230225011 के माध्यम से 10 किलोवाट के विद्युत संयोज़न हेतु आवेदन किया गया था, परंतु एम0डी0डी0ए0 स्वीकृत नक्शे का निरीक्षण करने में पाया गया विद्युत भार 28 किलोवाट का है, जो कि विद्युत वितरण खण्ड मोहनपुर कार्यालय से विद्युत संयोजन किया जाना है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 24
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail

विपक्षी की आख्या का मंच द्वारा विश्लेषण किया गया जिसमें मंच द्वारा पाया गया कि विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत भार का गलत अंकन किया गया है जिसके फलस्वरूप परिवादी के 10 किलोवाट विद्युत भार के आवेदन को 26 किलोवाट मानते हुए निरस्त किया गया जो की मंच के मत में तर्कसंगत एंव न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त चर्चा के उपरान्त मंच इस निष्कर्श पर पहुचा कि परिवादी द्वारा उक्त बिलडिंग आवसीय उपयोग मे ही लाई जायेगी और क्योंकि परिवादी की बिलडिंग नगर पंचायत/ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित है इस लिये यहॉ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के **Annexure-IV** के अनुसार नगर पंचायत/ग्राम पंचायत क्षेत्र में नये विद्युत संयोजन के मामले में प्रत्येक 300 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र या उसके भाग हेतु **0.5KW** मानक भार निर्धारण किया जायेगा। परिवादी की कथित बिलडिंग नगर पंचायत/ग्राम पंचायत मे ही स्थित है। पत्रावली पर उपलब्ध स्वीकृत मानचित्र के अनुसार परिवादी के परिसर का कुल क्षेत्र फल 462.13 square meter है जो की कुल 4974 square feet होता है, **UERC** के उपरोक्त भार निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार परिवादी की कुल विद्युत मॉग 8.29 किलोवाट होती है, जबकि परिवादी द्वारा 10 किलोवाट के विद्युत भार की मॉग की गई है, ऐसी स्थिति में विपक्षी द्वारा परिवादी को उनके द्वारा पुनः नियामानुसार आवेदन करने पर 10 किलोवाट का घरेलू विद्युत संयोजन अविलंब अवमुक्त किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉन्वली
देहरादून – 24
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276
ई–मेल cgrfgz@gmail

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission** के विनियम **UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020** के **Annexure-IV** में वर्णित उपरोक्त मानक अनुसार परिवादी द्वारा आवेदन किये जाने के उपरान्त अविलंब घरेलू विद्युत संयोजन अवमुक्त करें एवं अनुपालन आख्या आदेश प्राप्ती के 15 दिनों के अंतर्गत मंच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

03/06/2025	03/06/25	03.06.2025
(दीपक फरस्वाण)	(रजनीश माथुर)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 17 / 2025

श्रीमती संध्या जेम्स — परिवादी
निवासी– हरिपुर वन निगम रोड,
सेलाकुई, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक: 17.06.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके अत्याधिक राशि के त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल के संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि उनके संयोजन संख्या MP21521306281 में विद्युत बिल उनकी वास्तविक खपत से अधिक आ रहा है। अतः मंच से निवेदन है कि उक्त बिल को संशोधित कराये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध परिवादी के शिकायती पत्र के क्रम में विपक्षी ने अपनी आख्या पत्रांक संख्या 424 दिनांकित 16.06.2025 के माध्य से मंच को अवगत कराया है कि विद्युत संयोजन

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

संख्या MP21521306281 के विद्युत बिल को उपभोक्ता की वास्तविक रीडिंग के आधार पर संशोधित किया गया है।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की विद्युत बिल संबंधी शिकायत का निवारण बिल संशोधित कर कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

17/06/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

17/06/2

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradu 248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 15/2025

श्री जलज भाटिया — परिवादी
निवासी– ई–29 सिडकुल इनडस एरिया
सुलाकुई देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 28.06.2025
श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके विद्युत बिल संशोधित किये जाने तथा विद्युत सम्बन्धी अन्य शिकायत का निवारण न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि यदि किसी माह का बिल उपभोक्ता को प्राप्त होता है व उसमें कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को ठीक करवाने हेतु जब विभाग से सम्पर्क किया जाता है तो विभागीय अधिकारियों द्वारा यह बताया जाता है कि हमारा विभागीय पोर्टल 15 तारीख के बाद ही करेक्शन करने के लिए खुलता है। इस समस्या के कारण बिल ठीक नहीं हो पाता, तथा जो छूट उपभोक्ता को प्राप्त होती है वह प्राप्त नहीं हो पाती। अतः इस समस्या का

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

समाधान प्रदान किया जाये। इसके साथ–साथ 1912 पर शिकायत करने से वह केवल बिजली सम्बन्धी फाल्ट से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करते है, यदि एरिया से सम्बन्धित अथवा कोई और शिकायत हो तो वह दर्ज नही करते है। अतः सभी शिकायत को दर्ज करवाने हेतु उन्हें आदेशित किया जाये।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 9820, दिनांकित 19/06/2025 से मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता श्री जलज भाटिया, ई–29 सिडकुल इनडस एरिया, सेलाकुई, देहरादून की शिकायत के कम में अधीक्षण अभियन्ता, (आर0पी0डी0आर0पी0 भाग–ए) को इस कार्यालय पत्रांक 9819/वि0वि0ख0, मोहनपुर/उपाकालि/दे0दून/सी0जी0आर0एफ0/2025–26 दिनांक 19.06.2025 के द्वारा प्रकरण में आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की शिकायत के क्रम में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा अधीक्षण अभियन्ता (आर0पी0डी0आर0पी0 भाग–ए) वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून से अनुरोध किया गया है कि वर्णित शिकायतों के अनुक्रम मे आर0पी0डी0आर0पी0 पोर्टल में प्रावधान करने की कृपा करें।

उपरोक्त चर्चा उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की उपरोक्त शिकायतो के निवारण हेतु मुख्यालय स्तर पर पत्रचार कर अनुरोध को अग्रसारित कर दिया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradu[redacted]248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायतों के सामाधन हेतु अधीक्षण अभियन्ता (आर0पी0डी0आर0पी0 भा–ए) वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून से मुख्यालय स्तर पर अनुरोध किये जाने के फलस्वरूप निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/06/2025

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/06/
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VCabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 13/2025

श्रीमती डिम्पल पत्नी श्री रिंकु कुमार — परिवादी
निवासी– भीमावाला, विकासनगर
देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांकः 28.06.2025

श्री रजनीश माथुर — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद उनके त्रुतिपूर्ण विद्युत बिल संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि मेरे द्वारा देय अन्तिम बिल रसीद संख्या 13447301224W5000206 कुल चार हजार उनचस रूपये है, किन्तु उसके बाद विभागीय त्रुटि मीटर जम्प या अन्य किसी त्रुटि के कारण मुझे अनावश्यक बिल धनराशि रू0 86136/– का भेज दिया गया है जो कि गलत है। इस कारण से प्रार्थी बिजली का बिल जमा नही कर पा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि प्रार्थी का बिल सही करने की कृपा करें, जिससे प्रार्थी बिल जमा कर पाये।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 3523, दिनांकित 25/06/2025 से मंच को बिन्दुवार अवगत कराया गया है कि:–

1. परिवादी का संयोजन अघरेलू श्रेणी की उपश्रेणी STN-25/Small Non-Domestic Upto 04 KW में 25 जनवरी 2019 को निर्गत किया गया था, जिसकी संयोजन सं0 VN63146411382 है।

2. परिवादी को विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये गये है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को 25.01.2025 से पूर्व के विद्युत बिल चक्रों में विद्युत खपत लगभग समान थी, परन्तु दिनांक 25.01.2025 से 24.03.2025 तक कुल 9057 यूनिट के तीन बिल प्रेषित किये गये जिसपर परिवादी को आपत्ति है, क्योकिं परिवादी के अनुसार उनकी दुकान जिस में उपरोक्त विद्युत संयोजन स्थापित है वह काफी समय से बन्द चल रही थी।

विपक्षी द्वारा 90 दिनों की अवधि (25/12/2024 से 24/03/2025 तक) में दर्शायी गयी कुल 9057 यूनिट की विद्युत खपत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी के स्वीकृत विद्युत भार के अनुसार भी अधिकतम मॉग तथा मीटर बदलने से पूर्व की खपत के दृष्टिगत प्रतिदिन 100 यूनिट (9057/90) की विद्युत खपत सम्भव नहीं है। पत्रावली में संलग्न एम0आर0आई0 रिपोर्ट से स्पष्ट है कि परिवादी के विद्युत मापक द्वारा 01.06.2024 से 01.07.2024 तक 6815 यूनिट का उपभोग दर्शाया गया है जो कि 3 किलोवाट संयोजन पर सम्भव नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन करने से मंच के संज्ञान में यह भी आया कि विपक्षी द्वारा उक्त रीडिंग को 25.012.2024 से 25.01.2025 के बिल में पोस्ट किया गया है। अतः इससे स्पष्ट है कि मीटर में तकनीकि खराबी रही जिस कारण मीटर में रीडिंग जम्प हई। अतः मंच का मत है कि दिनांक 25.12.2024 से उक्त विद्युत मापक बदले जाने की तिथि 15.03.2025 तक प्रेषित विद्युत बिल परिवादी की वास्तविक खपत के अनुसार नहीं है, ऐसी दशा में परिवादी को

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradu[redacted]-248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

दिनांक 25/12/2024 से विद्युत मीटर बदले जाने की तिथि 15/03/2025 तक प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजको को पूर्व के तीन बिल चक्रों (12/2024, 11/2024 एवं 10/2024) की औसत खपत (एम0आर0आई0 रिपोर्ट अनुसार) क्रमशः (41+48+34/3= 41 यूनिट) अर्थात् 41 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 25/12/2024 से विद्युत मीटर बदले जाने की तिथि दिनांक 15/03/2025 तक प्रेषित विद्युत बीजक निरस्त कर उक्त विद्युत बीजके के पूर्व के तीन बिल चक्रों (12/2024, 11/2024 एवं 10/2024) की औसत खपत (एम0आर0आई0 रिपोर्ट अनुसार) क्रमशः (41+48+34/3= 41 यूनिट) अर्थात् 41 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश प्राप्ती के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/06/2025
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

28/06/25
(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone [illegible]35-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

<u>परिवाद सं0 18/2025</u>

श्री जयपाल, परिवादी

नि0 मेहमूदनगर, देहरादून। एवं

<u>परिवाद सं0 19/2025</u>

श्री मुन्नू, परिवादी

नि0 मेहमूदनगर,, देहरादून। एवं

<u>परिवाद सं0 20/2025</u>

श्री मनीष रावत, परिवादी

नि0 मैन रोड़,सेलाकुई, देहरादून।

एवं

<u>परिवाद सं0 21/2025</u>

श्री मोहम्मद सलीम, परिवादी

नि0 लॉ कॉलेज रोड़, देहरादून।

एवं

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 22 / 2025

श्री अल्ला राखी, परिवादी

नि0 लॉ कॉलेज रोड़, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी

विद्युत वितरण खण्ड, (मोहनपुर)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

देहरादून।

कोरम दिनांक : 17.06.2025

श्री रजनीश माथुर तकनीकी सदस्य

श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

उपरोक्त वाद परिवादीगण की ओर से आई0डी0एफ0 मीटर बदलवाये जाने के संबंध में योजित किये गये हैं।

उपरोक्त सभी परिवाद एक ही प्रकृति के हैं जिनका निस्तारण एक साथ किया जाना उचित है।

परिवादीगण के अनुसार उनका विद्युत मापक वर्तमान में खराब हो चुका है, जिसे विद्युत विभाग द्वारा बदला नही गया है, जिस कारण उन्हें वास्तविक खपत के आधार पर बिल प्रेषित न कर औसत खपत के आधार पर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत बिल प्रेषित किये जा रहे है। अतः मंच से निवदेन है कि विद्युत विभाग को उनके खराब विद्युत मीटर को बदलने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त के संदर्भ में अपनी आख्या पत्रांक संख्या 424 दिनांकित 16.06.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपरोक्त सभी उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर बदलकर शिकायत का निवारण किया जा चुका है।

मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादीगणों की मूल शिकायत का निवारण कर दिया गया है। अतः इस परिस्थिति में उक्त वादों को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा जाता हैं। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादीगणों की मूल शिकायतों का निवारण कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाते है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। *इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।* पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

17/06/25

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

17/06/25

(रजनीश माथुर)
तकनीकी सदस्य